

अचल संपत्ती निपटान / संचलन के लिए सी.सी.एस (आचरण) नियम 1964 के अधीन 18(02) के अंतर्गत पूर्व स्वीकृती मांगने की पूर्व सूचना देने का फार्म

1	सरकारी कर्मचारी का नाम	
2	वेतनमान तथा वर्तमान वेतन	
3	आवेदन का उद्देश लेनदेन की स्वीकृती / या लेनदेन की पूर्व सूचना	
4	यदी संपत्ती प्राप्त की गई या लेनदेन किया गया	
5	प्राप्ति की संभाल्य तारिख संपत्ती का लेनदेन	
6	प्राप्त / निपटान का प्रारूप	
7	(क) रुदान का संपूर्ण विवरण न्युनसिपल नं.गली / गांव / तालुका / जिला एवं राज्य जिसमें स्थित है । (ख) संपत्ति का विवरण जाताई योग्य, सुखी सिंचन भूमि । (ग) यदी पूर्णस्वामित्व की या पट्टेपर । (घ) यदी आवेदक संपत्ति में पुण्यतः सम्मिलित है अथवा आंशिक (यदी आंशिक रूप से हो तो उस मार्ग की सीमा रेखा का विवरण) । (च) यदी लेनदेन केवल सरकारी सेवक के नाम पर न हो तो रवानित्व का विवरण और प्रत्येक सदस्य का भाग ।	
8	विक्री / खरीदी मूल्य (यदी उपहार स्वरूप हो तो उसका बाजार मूल्य)	
9	प्राप्त के मामले में विच प्रबंध का स्रोत / विच प्रबंध के लिए प्रस्तावित । (अ) निजी बचत (ब) अन्य स्रोतों का पूर्ण विवरण	
10	यदी संपत्ति के लेनदेन का मामला हो तो दी गई अपेक्षित स्वीकृती / प्राप्त सूचना स्विकृती की प्रत जोड़ी जानी चाहिए ।	
11	(क) पार्टी का नाम एवं पता जिसके साथ लेनदेन करना प्रस्तावित है । (ख) यदी पार्टी का आवेदक से कोई संबंध हो तो संबंध खण्ड करें। (ग) क्या आवेदक व्याचा उसके कार्यालयीन क्षमता में पार्टी व्यवहार हुआ या आवेदक पार्टी से भविष्य में कोई व्यवहार करना चाहेगा । (घ) लेनदेन की व्यवस्था किस तरह की गईवैधानिक संत्था या निजी संस्था द्वारा विज्ञापन या नियंत्र एवं दिशेदार्त द्वारा संपूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।	

12	यदि सरकार व्यारा प्राप्ती मामला हो तो क्या सी.सी.एस. (प्रबंध) नियम 1964 के नियम 13 के अंतर्गत स्वीकृती अपेक्षित है।	
13	कोई अन्य संबंधित तथ्य जिसे आवेदक बताना चाहें।	

घोषणा

मैं _____ एवल्यारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही है। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे मद संख्या की 11 में दर्शाई गई पार्टी से उपरोक्त संपत्ति निपटान / प्राप्ति की अनुमति दी जाए।

या

मैं _____ एवल्यारा सूचित करता हूँ कि मेरे ल्यारा उपरोक्त संपत्ति प्राप्ति / निपटान का गया विवरण सही है।

रस्तेशन : औरंगाबाद

हस्ताक्षर :

दिनांक :

पदनाम :

नोट : 1. उपरोक्त कार्य में आवश्याकतानुसार विभिन्न विवरण का उपयोग करें।

2. यहाँ आवेदक को पूर्ण स्वीकृति लेना आवश्यक है। यहाँ लेनदेन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत की जाए।